तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1/6/2020	पत्रावली पेश। अभिभाषक द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखे जाने से वास्ते साविक कार्यवाही तारीख ..... को पेश हो। 13/7/2020	
13/7/2020	पत्रावली पेश। अभिभाषक द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखे जाने से वास्ते साविक कार्यवाही दिनांक ..... को पेश हो। 7/9/2020	
7/9/2020	पत्रावली पेश। अभिभाषक द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखे जाने से वास्ते साविक कार्यवाही दिनांक 26/10/20 को पेश हो।	
26/10/20	पत्रावली पेश। वास्ते बहस हेतु अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 17/12/2020 को पेश हो।	
17/12/20	पत्रावली पेश। बहुस अंतिम वकील पक्षकारान की सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक - 7/1/2021 को पेश हो।	
7/1/21	पत्रावली पेश। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक - 8/1/2021 को पेश हो।	
8/1/21	पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान द्वारा बहुस के दौरान प्रस्तुत तर्कों पर गौर किया। वकील प्रार्थी ने कथन किया की मेरे	

149 रकबा 9.12 बीघा ग्राम बीकरण मे है। जमीन मे मौके पर 2 हिस्से हुऐ हुऐ है। रोकउ के रास्ते के दक्षिण पर 3 बीघा पर प्रार्थी काबिज है। पूर्व मे अप्रार्थी काबिज है। यह भूमी बजंउ एक पूसली है। इसी पर बीकरण का स्नीकर बना हुआ है। ये strip of land है। यह भूमि रास्ते से दक्षिण तरफ पर अप्रार्थी का कब्जा नही रहा है। ये भूमि राजस्व रिकार्ड मे लीजदारी के रूप मे दर्ज है। लीजदारी का आवंटन निश्चित समय के लिये होता है। लीज की आड मे मेरे कब्जे की भूमि पर कब्जा करना चाहते है। इस भूमि की स्वामी राज० सरकार है। खातेदारी मे दर्ज होने के उपरांत खातेदार ही स्थायी है। लीजदार, लीज समाप्त होते ही कब्जा मान्य नही है। इनको आज तक खातेदारी नही दी गई है। ये हमारे कब्जे काश्त मे दखल नही करें।

वकील प्रार्थी के उपरोक्त तथ्यो के खण्डन मे कथन किया की अप्रार्थीगण के पिता को विवादित भूमि 50 वर्ष पूर्व लीज पर दी गई थी। लीजदारी की भूमि को अपने खाते दर्ज कराने का अधिकारी है। Strip of land होने का मतलब मे कब्जेदार नही हो गये है। मै अभी भी इस जमीन का मालिक हूँ। अतिक्रमी मेरे खिलाफ स्टे प्राप्त नही कर सकता है। इन्होने कब्जे का कोई सबूत पेश नही किया है। इनकी T.I. खारीज की जाकर मेरी काउन्टर T.I. को स्वीकार करें।

वकील अप्रार्थीगण के उपरोक्त कथनो का खंडन करते हुये वकील प्रार्थी ने कथन किया की मै मेरे पिता के जीवनकाल से काबिज हूँ। मेरी खातेदारी भूमि के सहारे की भूमि है। हम दीर्घकाल से शांतिपूर्ण काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रथम दृष्टया मामला मेरे पक्ष मे बनता है, सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे है।

P.T.O.→

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खउनं मे वकील अपार्थीगण ने कहा की लीज से इनको स्वत्व प्राप्त नहीं हुआ है। लीज का अकंन जमाबन्दी मे अप्रभावी है।

खउंनात्मक बहुस मे वकील अपार्थीगण के कथन किया की दावे मे वर्म होगा की कब्जा किसका है, तब तक दोनो पक्ष स्थास्थिती बनाये रखे।

दोनो पक्षो द्वारा बहुस मे प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया। विवादित भूमि अपार्थीगण की लीजदारी मे अंकित है। उक्त भूमि पर 3.10 बीघा भूमि पर प्रार्थी का कब्जा है, इस बाबत कोई साक्ष्य। सबूत पत्रावली मे पेश नहीं किये गये। प्रतिवादीगण ने भी अपने कब्जे बाबत। लीज शर्तो की पालना बाबत भी कोई साक्ष्य। सबूत पेश नहीं किये है।

प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रा०पत्र प्रार्थी पोषणीय नहीं होने से खारीज किया जाता है। अपार्थीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर T.I. प्रमाणित नहीं होने। साक्ष्य के अभाव मे खारीज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर बाद पूर्ण मूल वाद के साथ सलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)